12-15 | कोरोना वायरस उत्पन्न स्थिति के कारण शासन द्वारा आदेश दिनांक 23-3-20 की पालना में [illegible] किसी प्रकार का कार्य नहीं [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-?-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

-20 | पत्रावली पेश हुई बवक्त आवाज मुनादि गई आवाज पर वादी हाजिर नहीं आया नहीं उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आया अतः प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.06.07 12:48:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner